

भारत में महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण: अवसर और जोखिम

गुरपिंदर कुमार,

सहायक प्रोफेसर, सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

शोध सार

भारत में डिजिटल परिवर्तन महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरा है, जिसने सूचना, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक अभूतपूर्व पहुँच प्रदान की है। डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और ई-गवर्नेंस जैसी पहलों के माध्यम से महिलाएँ आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में बढ़ती भागीदारी कर रही हैं। हालांकि, ये उपलब्धियाँ सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक आधारों पर समान रूप से वितरित नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, निम्न-आय वर्गों और हाशिए पर स्थित समुदायों की महिलाएँ अब भी संरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रही हैं, जिनमें डिजिटल अवसंरचना तक सीमित पहुँच, डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर और गहराई से जमी जेंडर मान्यताएँ शामिल हैं (हिल्बर्ट, 2011; जी.एस.एम.ए., 2023)। यह शोध-पत्र जेंडर एंड डेवलपमेंट (GAD) ढाँचे के माध्यम से भारत में डिजिटल सशक्तिकरण के द्वैत आयामों का विश्लेषण करता है, जिसमें अवसरों और उभरते जोखिमों दोनों को रेखांकित किया गया है। एक ओर, डिजिटल उपकरण उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करते हैं और नागरिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की आवाज़ को सशक्त बनाते हैं। दूसरी ओर, डिजिटलकरण जैसे साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन दुर्व्यवहार, दुष्प्रचार, तथा डेटा गोपनीयता और निगरानी से संबंधित चिंताएँ, महिलाओं को नई प्रकार की असुरक्षाओं के प्रति उजागर करता है (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)। ये जोखिम मौजूदा जेंडर असमानताओं और सुरक्षित डिजिटल वातावरण की कमी के कारण महिलाओं को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन तर्क देता है कि डिजिटल सशक्तिकरण को केवल तकनीक तक पहुँच तक सीमित नहीं किया जा सकता; बल्कि इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें डिजिटल साक्षरता, जेंडर-संवेदनशील नीतिगत ढाँचे और साइबर खतरों के विरुद्ध मजबूत कानूनी सुरक्षा शामिल हों। जेंडर डिजिटल विभाजन को पाटना इस बात के लिए अनिवार्य है कि तकनीकी प्रगति समावेशी और सतत विकास में योगदान दे सके। इन संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान किए बिना, डिजिटलकरण मौजूदा असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें और सुदृढ़ कर सकता है।

बीज शब्द: डिजिटल सशक्तिकरण, महिलाएँ, भारत, जेंडर विभाजन, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा

1. परिचय

इक्कीसवीं सदी में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के तीव्र विस्तार ने वैश्विक स्तर पर विकास की प्रकृति और दिशा को मूल रूप से परिवर्तित कर दिया है। भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल प्रसार और डिजिटल अवसंरचना के विस्तार ने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के अभूतपूर्व अवसर उत्पन्न किए हैं (जी.एस.एम.ए., 2023; विश्व बैंक, 2021)। इस परिवर्तित परिदृश्य में महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण का प्रश्न अकादमिक और नीतिगत विमर्श के केंद्र में तेजी से उभरा है। यहाँ डिजिटल सशक्तिकरण का अर्थ केवल तकनीक तक पहुँच नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की उस व्यापक क्षमता को भी समाहित करता है जिसके माध्यम से वे डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर अपनी एजेंसी, स्वायत्तता और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी को सुदृढ़ कर सकें (हिल्बर्ट, 2011)।

ऐतिहासिक रूप से भारत में महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में अनेक संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिनकी जड़ें गहरे पैठे पितृसत्तात्मक ढाँचों, सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों और आर्थिक असमानताओं में निहित हैं (कबीर, 1999)। इन बाधाओं ने महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, संपत्ति अधिकार और निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं तक पहुँच को सीमित किया है। स्वतंत्रता-उत्तर काल में विकास नीतियों ने प्रारंभ में एक कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें मातृ स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा पर बल दिया गया। हालांकि, इस प्रकार के हस्तक्षेपों ने प्रायः महिलाओं को सक्रिय भागीदार के बजाय निष्क्रिय लाभार्थी के रूप में स्थापित किया। समय के साथ नारीवादी आलोचनाओं ने इस दृष्टिकोण को चुनौती दी और यह रेखांकित किया कि महिलाओं को विकास के 'लाभार्थी' नहीं, बल्कि 'परिवर्तन के एजेंट' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए (सेन, 1999)।

डिजिटल प्रौद्योगिकियों के आगमन ने इस विमर्श में एक नया आयाम जोड़ा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पारंपरिक शक्ति-संरचनाओं को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वे सूचना तक पहुँच को सुगम बनाते हैं, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करते हैं और नए आर्थिक अवसरों का सृजन करते हैं (विश्व बैंक, 2021)। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी ने महिलाओं को ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल उद्यमिता और दूरस्थ रोजगार में भागीदारी का अवसर प्रदान किया है, जिससे वे उन भौगोलिक और सामाजिक बाधाओं को पार कर पा रही हैं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से उनकी सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को सीमित किया था। इसके अतिरिक्त, डिजिटल तकनीकों ने महिलाओं को अभिव्यक्ति, सक्रियता और सामूहिक संगठित होने के मंच भी उपलब्ध कराए हैं, जिससे सार्वजनिक विमर्श के लोकतंत्रीकरण में योगदान मिला है (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)।

हालांकि, डिजिटल सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी संभावनाएँ समाज के सभी वर्गों में समान रूप से साकार नहीं हुई हैं। भारत में जेंडर डिजिटल विभाजन एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिए पर स्थित समुदायों की महिलाएँ पुरुषों की तुलना में मोबाइल उपकरणों के स्वामित्व, इंटरनेट उपयोग और डिजिटल साक्षरता में पीछे हैं (जी.एस.एम.ए., 2023)। यह असमानता केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि गरीबी, शिक्षा, जाति और भौगोलिक स्थिति जैसे सामाजिक-आर्थिक कारकों से गहराई से जुड़ी हुई है। परिणामस्वरूप, डिजिटलकरण के

लाभ असमान रूप से वितरित होते हैं और कई बार मौजूदा असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें और सुदृढ़ कर देते हैं (हिल्बर्ट, 2011)।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल क्षेत्र नए प्रकार के जेंडर जोखिमों और असुरक्षाओं का भी स्थल बनकर उभरा है। साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन दुर्व्यवहार, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी समस्याएँ महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे उनकी डिजिटल भागीदारी में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)। ये जोखिम डिजिटल सशक्तिकरण की अवधारणा को अधिक जटिल बनाते हैं और यह दर्शाते हैं कि इसके मुक्तिकारी संभावनाओं के साथ-साथ इसकी सीमाओं को भी समझना आवश्यक है।

इसी संदर्भ में, प्रस्तुत शोध-पत्र भारत में महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण से जुड़े अवसरों और जोखिमों का समालोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन नारीवादी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए जेंडर एंड डेवलपमेंट (GAD) रूपरेखा के आधार पर यह समझने का प्रयास करता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ किस प्रकार मौजूदा जेंडर संबंधों और शक्ति-संरचनाओं के साथ अंतःक्रिया करती हैं (कबीर, 1999)।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ किस प्रकार सशक्तिकरण के उपकरण के रूप में कार्य कर सकती हैं, साथ ही उन सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और संस्थागत बाधाओं की पहचान करना है जो उनके प्रभावी उपयोग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, शासन और डिजिटल सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के विश्लेषण के माध्यम से यह शोध भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को आकार देने में डिजिटलकरण की भूमिका को व्यापक रूप से समझने का प्रयास करता है।

अंततः, यह शोध यह प्रतिपादित करता है कि सार्थक डिजिटल सशक्तिकरण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी पहुँच के साथ-साथ शिक्षा, नीतिगत सुधार और सामाजिक परिवर्तन का समावेश हो (सेन, 1999)। जब तक मूलभूत संरचनात्मक असमानताओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक केवल डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ समानतापूर्ण विकास सुनिश्चित नहीं कर सकतीं। अतः डिजिटल सशक्तिकरण के विमर्श को जेंडर न्याय और समावेशी विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है।

1.1 साहित्य समीक्षा

भारत में महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण का विमर्श जेंडर स्टडीज़, विकास सिद्धांत और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अनुसंधान के संगम पर स्थित है। विद्यमान साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग इस बात की पड़ताल करता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ महिलाओं की संसाधनों तक पहुँच, उनकी एजेंसी और सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं में भागीदारी को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। प्रारंभिक सैद्धांतिक योगदान, विशेषकर जेंडर एंड डेवलपमेंट (GAD) रूपरेखा के अंतर्गत, सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें संसाधनों तक पहुँच, एजेंसी का प्रयोग और वांछित परिणामों की प्राप्ति शामिल होती है (कबीर, 1999)। इस रूपरेखा

का व्यापक रूप से उपयोग यह समझने के लिए किया गया है कि डिजिटल उपकरण किस प्रकार जेंडर संबंधों को परिवर्तित कर सकते हैं।

अमर्त्य सेन (1999) जैसे विद्वानों ने विकास को मानव क्षमताओं के विस्तार के रूप में परिकल्पित किया है, जिसमें सूचना और अवसरों तक पहुँच को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस संदर्भ में, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए क्षमताओं के विस्तार का माध्यम बनकर उभरती हैं, जो ऐतिहासिक रूप से औपचारिक आर्थिक और शैक्षिक प्रणालियों से वंचित रही हैं। इसी प्रकार, हिल्बर्ट (2011) का तर्क है कि यद्यपि डिजिटल प्रौद्योगिकियों में जेंडर असमानताओं को कम करने की क्षमता है, फिर भी पहुँच और उपयोग में मौजूद संरचनात्मक असमानताएँ अक्सर मौजूदा सामाजिक पदानुक्रमों को पुनः उत्पन्न कर देती हैं।

प्रायोगिक अध्ययनों ने लगातार जेंडर डिजिटल विभाजन की स्थिरता को रेखांकित किया है। जी.एस.एम.ए. (2023) के अनुसार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में स्मार्टफोन स्वामित्व और मोबाइल इंटरनेट उपयोग में उल्लेखनीय रूप से पीछे हैं। भारतीय संदर्भ में यह विभाजन ग्रामीण-शहरी असमानताओं, जातिगत बहिष्करण और शैक्षिक विषमताओं के कारण और अधिक जटिल हो जाता है। विश्व बैंक (2021) के शोध से यह स्पष्ट होता है कि सीमित डिजिटल साक्षरता और वहनीयता (affordability) की बाधाएँ महिलाओं की डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रभावी भागीदारी में प्रमुख अवरोध हैं।

इसके साथ ही, साहित्य का एक उभरता हुआ भाग महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने महिलाओं को ई-कॉमर्स, फ्रीलांस कार्य और ऑनलाइन उद्यमिता में भागीदारी के अवसर प्रदान किए हैं, जिससे आय सृजन के वैकल्पिक मार्ग खुलते हैं (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)। इसके अतिरिक्त, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणालियों जैसी डिजिटल वित्तीय सेवाओं ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन और स्वायत्तता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, विद्वानों ने डिजिटल सहभागिता से जुड़े जोखिमों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। महिलाओं के विरुद्ध साइबर हिंसा में वृद्धि एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी है, जहाँ ऑनलाइन उत्पीड़न, पीछा करना (stalking) और दुर्व्यवहार उनकी डिजिटल भागीदारी को सीमित करते हैं (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)। साथ ही, डेटा गोपनीयता, निगरानी और एल्गोरिथ्मिक पक्षपात जैसे मुद्दे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की समावेशिता और सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

नारीवादी विद्वानों ने उन तकनीकी-आशावादी दृष्टिकोणों की आलोचना की है जो डिजिटलकरण को स्वाभाविक रूप से सशक्तिकारी मानते हैं। इसके विपरीत, वे यह तर्क देते हैं कि प्रौद्योगिकी को मौजूदा शक्ति-संरचनाओं से अलग करके नहीं देखा जा सकता (कबीर, 1999)। यदि अंतर्निहित सामाजिक-सांस्कृतिक और संस्थागत असमानताओं

का समाधान नहीं किया जाता, तो डिजिटल हस्तक्षेप अनजाने में जेंडर असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें और बढ़ा सकते हैं।

समग्र रूप से, उपलब्ध साहित्य एक द्वैध वास्तविकता को उजागर करता है—एक ओर डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर उनका प्रभाव संरचनात्मक बाधाओं और उभरते जोखिमों द्वारा नियंत्रित होता है। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि नीतियों को संदर्भ-विशिष्ट और जेंडर-संवेदनशील होना चाहिए, जो तकनीकी पहुँच को व्यापक विकास लक्ष्यों के साथ एकीकृत करें।

2. सैद्धांतिक रूपरेखा: डिजिटल सशक्तिकरण और जेंडर

डिजिटल सशक्तिकरण की अवधारणा समकालीन विकास विमर्श का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, विशेषकर तीव्र गति से विकसित हो रही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) के संदर्भ में (विश्व बैंक, 2021)। अपने मूल में, डिजिटल सशक्तिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति और समुदाय डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुँच प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग करते हैं और उन्हें अपने सामाजिक-आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने तथा अपनी एजेंसी को सुदृढ़ करने के लिए प्रयोग में लाते हैं (हिल्बर्ट, 2011)। किंतु जब इस अवधारणा का विश्लेषण जेंडर दृष्टिकोण से किया जाता है, तो यह प्रौद्योगिकी, शक्ति और सामाजिक संरचनाओं के बीच जटिल अंतःसंबंधों को उजागर करती है (कबीर, 1999)।

नारीवादी विकास सिद्धांत इन अंतःक्रियाओं को समझने के लिए एक प्रभावी रूपरेखा प्रदान करता है। प्रारंभिक विकास दृष्टिकोण, जैसे विकास में महिला (WID) मॉडल, महिलाओं को मौजूदा आर्थिक संरचनाओं में शामिल करने पर केंद्रित थे, किंतु उन्होंने उन शक्ति-संबंधों को चुनौती नहीं दी जो जेंडर असमानता को बनाए रखते हैं (कबीर, 1999)। यद्यपि विकास में महिला (WID) मॉडल ने महिलाओं की आर्थिक भूमिका को रेखांकित किया, फिर भी इसकी सीमाएँ स्पष्ट थीं क्योंकि यह पितृसत्तात्मक मानदंडों को बदलने में असफल रहा।

इसके विपरीत, जेंडर और विकास (GAD) रूपरेखा ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत किया, जिसमें जेंडर को संबंधपरक (relational) दृष्टिकोण से समझा गया और असमान शक्ति-संरचनाओं को रूपांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जेंडर और विकास (GAD) केवल महिलाओं पर केंद्रित नहीं है, बल्कि उन व्यापक जेंडर संबंधों पर ध्यान देता है जो संसाधनों, अवसरों और निर्णय-निर्माण की शक्ति तक पहुँच को निर्धारित करते हैं। इस रूपरेखा के अंतर्गत सशक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है, जिसमें व्यक्तियों की उस क्षमता को विकसित किया जाता है जिसके माध्यम से वे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सकें—विशेषकर उन परिस्थितियों में जहाँ पहले यह क्षमता उनसे वंचित थी (कबीर, 1999)।

डिजिटल सशक्तिकरण पर जेंडर और विकास (GAD) रूपरेखा को लागू करने का अर्थ यह विश्लेषण करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ किस प्रकार मौजूदा जेंडर असमानताओं के साथ अंतःक्रिया करती हैं। प्रायः सशक्तिकरण के पहले आयाम के रूप में 'तकनीकी पहुँच' को देखा जाता है, किंतु यह केवल एक पहलू है। वास्तविक डिजिटल सशक्तिकरण के लिए केवल पहुँच पर्याप्त नहीं है; इसके लिए तकनीक का प्रभावी, आलोचनात्मक और सुरक्षित उपयोग करने की क्षमता भी आवश्यक है। इसमें डिजिटल साक्षरता, तकनीकी कौशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आत्मविश्वासपूर्वक जुड़ने की योग्यता शामिल है (जी.एस.एम.ए., 2023)।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल सशक्तिकरण को 'एजेंसी' के संदर्भ में भी समझना आवश्यक है। एजेंसी का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता। डिजिटल संदर्भ में यह क्षमता ऑनलाइन शिक्षा, रोजगार, संचार और नागरिक भागीदारी के लिए डिजिटल माध्यमों के उपयोग में परिलक्षित होती है। महिलाओं के लिए डिजिटल एजेंसी अत्यंत परिवर्तनकारी हो सकती है, क्योंकि यह उन्हें पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं को चुनौती देने और सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है (सेन, 1999)।

हालांकि, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सशक्तिकरण के बीच संबंध स्वाभाविक रूप से सकारात्मक नहीं है। प्रौद्योगिकी तटस्थ नहीं होती; यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों द्वारा आकार ग्रहण करती है। परिणामस्वरूप, डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ओर असमानताओं को चुनौती दे सकते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें सुदृढ़ भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन मंच अभिव्यक्ति और सक्रियता के अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही वे महिलाओं को उत्पीड़न और निगरानी के जोखिम के प्रति भी उजागर करते हैं (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)। इसी प्रकार, एल्गोरिथ्मिक पक्षपात और तकनीकी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की कमी बहिष्करण की प्रक्रियाओं को जन्म दे सकती है।

डिजिटल सशक्तिकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम 'समावेशन' (inclusion) है। समावेशन केवल तकनीकी पहुँच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हाशिए पर स्थित समूह डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सार्थक रूप से भाग ले सकें। भारतीय संदर्भ में यह जाति, वर्ग, ग्रामीण-शहरी विभाजन और शिक्षा स्तर पर आधारित असमानताओं को संबोधित करने से जुड़ा है। हाशिए पर स्थित समुदायों की महिलाएँ अक्सर बहुस्तरीय वंचनाओं का सामना करती हैं, जिससे डिजिटल सशक्तिकरण के लिए एक अंतःक्षेत्रीय (intersectional) दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो जाता है (क्रेंशॉ, 1989)।

इस संदर्भ में अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित 'क्षमता दृष्टिकोण' (Capability Approach) भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं और अवसरों का विस्तार किया जाए, ताकि वे वह जीवन जी सकें जिसे वे महत्व देते हैं (सेन, 1999)। डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ सूचना, शिक्षा और आर्थिक अवसरों

तक पहुँच प्रदान कर इन क्षमताओं को सुदृढ़ कर सकती हैं। किंतु इन क्षमताओं का वास्तविक विकास तभी संभव है जब अनुकूल सामाजिक और संस्थागत परिस्थितियाँ उपलब्ध हों।

इसके अतिरिक्त, हाल के वर्षों में 'डिजिटल नागरिकता' (Digital Citizenship) की अवधारणा भी महत्वपूर्ण बनकर उभरी है। डिजिटल नागरिकता का आशय डिजिटल मंचों पर जिम्मेदार, सुरक्षित और प्रभावी भागीदारी की क्षमता से है। महिलाओं के लिए इसमें केवल तकनीकी पहुँच और कौशल ही नहीं, बल्कि अपने अधिकारों की जागरूकता, सुरक्षा उपायों की समझ और तकनीक के नैतिक उपयोग का ज्ञान भी शामिल है (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)। डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देना इस बात के लिए आवश्यक है कि डिजिटल सशक्तिकरण वास्तविक और सार्थक भागीदारी में परिवर्तित हो सके।

अंततः, डिजिटल सशक्तिकरण की सैद्धांतिक रूपरेखा को केवल तकनीकी दृष्टिकोण तक सीमित नहीं रखा जा सकता; इसे जेंडर, शक्ति और सामाजिक न्याय के व्यापक प्रश्नों के साथ जोड़कर समझना आवश्यक है। नारीवादी सिद्धांत, जेंडर और विकास (GAD) रूपरेखा और क्षमता दृष्टिकोण के अंतर्दृष्टियों को समाहित करते हुए यह शोध डिजिटल सशक्तिकरण को एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसा दृष्टिकोण डिजिटल युग में जेंडर असमानताओं की जटिलताओं को समझने और समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

3. भारत में महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के अवसर

भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए परिवर्तनकारी मार्ग प्रशस्त किए हैं, जिनके माध्यम से आर्थिक अवसरों, शिक्षा, वित्तीय प्रणालियों और सार्वजनिक भागीदारी तक उनकी पहुँच संभव हुई है (विश्व बैंक, 2021)। यद्यपि ये अवसर समान रूप से वितरित नहीं हैं, फिर भी इनमें पारंपरिक जेंडर पदानुक्रमों को चुनौती देने और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की एजेंसी को विस्तारित करने की क्षमता निहित है (कबीर, 1999)।

सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्षेत्रों में से एक आर्थिक सशक्तिकरण है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय ने महिलाओं को आय-सृजन गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है, जो पहले सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं—जैसे सीमित गतिशीलता और घरेलू जिम्मेदारियों—के कारण उनके लिए कठिन था (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)। ऑनलाइन मार्केटप्लेस, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म और गिग अर्थव्यवस्था के अवसर महिलाओं को घर से काम करने की सुविधा देते हैं, जिससे वे पारिश्रमिक कार्य और अवैतनिक देखभाल कार्य के बीच संतुलन स्थापित कर पाती हैं। विशेष रूप से सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स के माध्यम से डिजिटल उद्यमिता ने महिलाओं को न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ छोटे व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाया है। हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और घरेलू सेवाओं जैसे क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को डिजिटल माध्यमों से नए बाजार प्राप्त हुए हैं, जिससे उनकी आय और आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है (जी.एस.एम.ए., 2023)।

आर्थिक भागीदारी से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम वित्तीय समावेशन का विस्तार है। मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी डिजिटल वित्तीय सेवाओं ने महिलाओं की औपचारिक वित्तीय प्रणालियों तक पहुँच को सुदृढ़ किया है (विश्व बैंक, 2021)। ये साधन बिचौलियों पर निर्भरता को कम करते हैं और महिलाओं को अपने वित्त पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। डिजिटल पहचान प्रणालियों और बैंकिंग सेवाओं के एकीकरण ने सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और ऋण सुविधाओं तक पहुँच को भी सरल बनाया है। इस प्रकार डिजिटल माध्यमों से वित्तीय समावेशन न केवल आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि परिवार और समुदाय में महिलाओं की सौदेबाजी शक्ति को भी मजबूत करता है (कबीर, 1999)।

डिजिटल सशक्तिकरण का एक और महत्वपूर्ण आयाम शिक्षा और सूचना तक पहुँच है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ज्ञान को अधिक लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे शैक्षिक संसाधनों तक व्यापक पहुँच संभव हुई है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, शैक्षिक ऐप्स और वर्चुअल कक्षाओं ने विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा जारी रखने का अवसर प्रदान किया है (हिल्बर्ट, 2011)। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों ने भी महिलाओं को डिजिटल दुनिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, सूचना तक पहुँच केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, कानूनी अधिकारों और सरकारी नीतियों से संबंधित जागरूकता भी शामिल है, जो महिलाओं को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)।

डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को भी सुदृढ़ किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म महिलाओं को अपने विचार व्यक्त करने, अनुभव साझा करने और सार्वजनिक विमर्श में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ये मंच जेंडर हिंसा, भेदभाव और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर महिलाओं की आवाज़ को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)। इसके अतिरिक्त, डिजिटल उपकरण जमीनी स्तर पर सामूहिक संगठन और अधिकारों के लिए संघर्ष को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे महिलाएँ नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म तक बढ़ती पहुँच ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की दृश्यता को बढ़ाया है और उन पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी है जो उन्हें निजी क्षेत्र तक सीमित रखते थे (सेन, 1999)।

इसके साथ ही, डिजिटल सशक्तिकरण नवाचार और उद्यमिता को भी बढ़ावा देता है। महिलाएँ अब शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु तकनीक का उपयोग कर नवाचारी पहल कर रही हैं (विश्व बैंक, 2021)। डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र कौशल विकास, नेटवर्किंग और मेंटरशिप के अवसर प्रदान करता है, जो उद्यमिता की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं को तकनीक और स्टार्टअप्स में प्रोत्साहित करने के प्रयासों ने इन संभावनाओं को और विस्तारित किया है (जी.एस.एम.ए., 2023)।

हालांकि, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि ये अवसर सभी महिलाओं के लिए समान रूप से सुलभ नहीं हैं। सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, क्षेत्रीय विषमताएँ और सांस्कृतिक मानदंड इस बात को प्रभावित करते हैं कि महिलाएँ डिजिटल प्रौद्योगिकियों से कितनी लाभान्वित हो सकती हैं (जी.एस.एम.ए., 2023)। अतः डिजिटल सशक्तिकरण की वास्तविक प्राप्ति अंतर्निहित संरचनात्मक बाधाओं के समाधान पर निर्भर करती है (कबीर, 1999)।

समग्र रूप से, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ महिलाओं को निष्क्रिय लाभार्थियों से सक्रिय विकास एजेंटों में रूपांतरित करने की क्षमता रखती हैं। संसाधनों, सूचना और नेटवर्क तक पहुँच बढ़ाकर डिजिटल सशक्तिकरण महिलाओं की स्वायत्तता, भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक उन्नति को सुदृढ़ करता है (सेन, 1999)। फिर भी, इन उपलब्धियों की स्थिरता के लिए एक ऐसा सहयोगी तंत्र आवश्यक है जो समान पहुँच सुनिश्चित करे और संरचनात्मक असमानताओं को दूर करे।

4. डिजिटल सशक्तिकरण की चुनौतियाँ और जोखिम

यद्यपि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं, वे अनेक नई चुनौतियाँ और जोखिम भी उत्पन्न करती हैं, जो इन उपलब्धियों को सीमित या कमजोर कर सकते हैं। डिजिटल परिदृश्य स्वाभाविक रूप से समावेशी या तटस्थ नहीं है; बल्कि यह मौजूदा सामाजिक असमानताओं को प्रतिबिंबित करता है और कई बार उन्हें और अधिक गहरा करता है (हिल्बर्ट, 2011)। भारतीय संदर्भ में महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण संरचनात्मक, सांस्कृतिक और तकनीकी बाधाओं से प्रभावित होता है, जिनका समालोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक है (कबीर, 1999)।

सबसे प्रमुख चुनौती जेंडर डिजिटल विभाजन है। इंटरनेट के तीव्र विस्तार के बावजूद पुरुषों और महिलाओं के बीच डिजिटल तकनीकों तक पहुँच में उल्लेखनीय अंतर बना हुआ है। महिलाएँ स्मार्टफोन स्वामित्व, इंटरनेट उपयोग और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच में पुरुषों से पीछे हैं (जी.एस.एम.ए., 2023)। यह असमानता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है, जहाँ सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ, सीमित अवसंरचना और कठोर जेंडर मानदंड महिलाओं की पहुँच को और सीमित करते हैं। यह विभाजन केवल कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वहनीयता, साक्षरता और तकनीक के उपयोग की सामाजिक स्वीकृति भी शामिल है (विश्व बैंक, 2021)।

इसके साथ ही डिजिटल निरक्षरता और कौशल अंतर भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। उपकरणों तक पहुँच होना अपने आप में उनके प्रभावी उपयोग की गारंटी नहीं देता। अनेक महिलाओं के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने, सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने या डिजिटल जोखिमों से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कौशल नहीं होते (हिल्बर्ट, 2011)। सीमित शिक्षा, प्रशिक्षण के अवसरों की कमी और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ इस अंतर को और बढ़ाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाएँ डिजिटलकरण के पूर्ण लाभों से वंचित रह जाती हैं (जी.एस.एम.ए., 2023)।

एक अन्य गंभीर चिंता साइबर हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न है। डिजिटल मंच महिलाओं के विरुद्ध जेंडर हिंसा का नया क्षेत्र बन गए हैं, जहाँ उन्हें ट्रोलिंग, साइबर स्टॉकिंग, दुर्व्यवहार और धमकियों का सामना करना पड़ता है (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)। ऐसे अनुभवों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव गहरे होते हैं और वे महिलाओं को ऑनलाइन गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित कर सकते हैं। इंटरनेट की गुमनामी और प्रभावी नियामक तंत्र की कमी इन समस्याओं को और गंभीर बनाती है।

डेटा गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित जोखिम भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती भागीदारी के साथ महिलाओं की व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग, पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है (विश्व बैंक, 2021)। कई उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षा के उपायों से अनभिज्ञ होते हैं, जिससे वे शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। अपर्याप्त कानूनी ढाँचे और कमजोर क्रियान्वयन तंत्र इन जोखिमों को और बढ़ाते हैं (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ मौजूदा सामाजिक असमानताओं को भी सुदृढ़ कर सकती हैं। एल्गोरिथ्मिक पक्षपात, तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व और डिजिटल उपकरणों की जेंडर रूपरेखा महिलाओं के अनुभवों और आवश्यकताओं को हाशिए पर डाल सकती है (क्रियाडो पेरेज़, 2019)। उदाहरण के लिए, सामग्री नियंत्रण प्रणालियाँ जेंडर उत्पीड़न को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल हो सकती हैं, जबकि डिजिटल मंच पुरुष-प्रधान दृष्टिकोणों को प्राथमिकता दे सकते हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड भी महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई समुदायों में महिलाओं के मोबाइल फोन और इंटरनेट उपयोग पर नैतिकता, सुरक्षा और पारिवारिक प्रतिष्ठा के नाम पर निगरानी या प्रतिबंध लगाया जाता है (जी.एस.एम.ए., 2023)। ये प्रतिबंध गहरे पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो महिलाओं की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हैं (सेन, 1999)।

इसके अलावा, अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ भी महिलाओं की डिजिटल भागीदारी को सीमित करता है। भले ही तकनीकी पहुँच उपलब्ध हो, समय की कमी और घरेलू जिम्मेदारियाँ उन्हें सीखने और डिजिटल गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने से रोकती हैं। यह स्थिति डिजिटल सशक्तिकरण और व्यापक जेंडर असमानताओं के बीच गहरे अंतर्संबंध को दर्शाती है (कबीर, 1999)।

अंततः, यह स्पष्ट है कि डिजिटल सशक्तिकरण की संभावनाएँ जितनी व्यापक हैं, उतनी ही जटिल चुनौतियाँ भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। जेंडर डिजिटल विभाजन को कम करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना और संरचनात्मक असमानताओं का समाधान करना एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए अनिवार्य है (विश्व बैंक, 2021)। अन्यथा, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ मौजूदा जेंडर असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें और अधिक गहरा कर सकती हैं।

5. सरकारी पहलें और नीतिगत हस्तक्षेप

भारत सरकार ने डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने और तकनीक के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न पहलें शुरू की हैं। ये हस्तक्षेप व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रमों—जैसे डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन नीतियाँ और कौशल विकास मिशनों—के अंतर्गत आते हैं (विश्व बैंक, 2021)। यद्यपि इन पहलों ने डिजिटल पहुँच के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी जेंडर समानता के संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है (कबीर, 1999)।

सबसे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक डिजिटल इंडिया (2015) है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना है। यह पहल डिजिटल अवसंरचना के विस्तार, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने और सरकारी सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक वितरण पर केंद्रित है (भारत सरकार, 2015)। महिलाओं के लिए इसने सूचना, सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक पहुँच के नए रास्ते खोले हैं। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि पहुँच, वहनीयता और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को किस हद तक संबोधित किया जाता है (जी.एस.एम.ए., 2023)।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य लाखों ग्रामीण परिवारों को बुनियादी डिजिटल कौशल प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं और अन्य वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है (भारत सरकार, 2017)। यह कार्यक्रम महिलाओं को डिजिटल उपकरणों के उपयोग, ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच और डिजिटल संचार में भागीदारी के लिए सक्षम बनाता है। हालांकि, अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में असमानता और अनुवर्ती सहयोग की सीमाएँ इसके प्रभाव को प्रभावित करती हैं (हिल्बर्ट, 2011)।

भारतनेट (BharatNet) परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रयास करती है। यह पहल शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन को कम करने और दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है (विश्व बैंक, 2021)। यद्यपि अवसंरचना विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी अंतिम चरण (last-mile connectivity) और वहनीयता से जुड़ी समस्याएँ विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बाधा बनी हुई हैं (जी.एस.एम.ए., 2023)।

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने महिलाओं की बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को बढ़ाया है, जिससे उनकी आर्थिक स्वायत्तता सुदृढ़ हुई है (विश्व बैंक, 2021)। हालांकि, इन पहलों की प्रभावशीलता डिजिटल साक्षरता

और जागरूकता पर निर्भर करती है, जो विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में असमान रूप से वितरित है (कबीर, 1999)।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने महिलाओं की उद्यमिता और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, स्टार्टअप समर्थन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार तक पहुँच प्रदान करते हैं (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)। इनका उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। फिर भी, इन पहलों के विस्तार और व्यापक पहुँच की आवश्यकता है ताकि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों की महिलाएँ समान रूप से लाभान्वित हो सकें (जी.एस.एम.ए., 2023)।

इसके बावजूद, नीतियों के कार्यान्वयन में कई संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी रहती हैं। डिजिटल पहलों के डिज़ाइन और निगरानी में जेंडर संवेदनशीलता का अभाव अक्सर नीति उद्देश्यों और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर उत्पन्न करता है (कबीर, 1999)। साथ ही, अंतःक्षेत्रीय (intersectional) दृष्टिकोण की कमी के कारण जाति, वर्ग और भौगोलिक स्थिति के आधार पर भिन्न-भिन्न समूहों की महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जा पाता (क्रेशॉ, 1989)।

इसके अलावा, डिजिटल सुरक्षा और डेटा संरक्षण से संबंधित मुद्दों को भी नीतिगत ढाँचों में पर्याप्त रूप से समाहित नहीं किया गया है। डिजिटल विस्तार ने जहाँ अवसर बढ़ाए हैं, वहीं महिलाओं को साइबर जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील भी बनाया है, जिससे मजबूत नियामक तंत्र और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता बढ़ जाती है (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि सरकारी पहलों ने डिजिटल सशक्तिकरण की नींव रखी है, किंतु सार्थक परिणामों के लिए अधिक समग्र और जेंडर-संवेदनशील दृष्टिकोण आवश्यक है। नीतियों को केवल अवसंरचना और पहुँच तक सीमित न रखते हुए वहनीयता, साक्षरता, सुरक्षा और सामाजिक मानदंडों जैसे मुद्दों को भी संबोधित करना होगा (विश्व बैंक, 2021)। साथ ही, संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और नीति निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए अनिवार्य है (सेन, 1999)।

6. विमर्श: समावेशी डिजिटल सशक्तिकरण की ओर

उपरोक्त अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि डिजिटल सशक्तिकरण तकनीकी विस्तार का स्वतःस्फूर्त परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक गहन सामाजिक और संदर्भ-निर्भर प्रक्रिया है (विश्व बैंक, 2021)। भारत ने डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु इन उपलब्धियों का महिलाओं के लिए वास्तविक सशक्तिकरण में रूपांतरण इस बात पर निर्भर करता है कि संरचनात्मक असमानताओं को किस

प्रकार संबोधित किया जाता है। इसलिए, डिजिटल सशक्तिकरण को केवल तकनीकी समावेशन के रूप में नहीं, बल्कि जेंडर समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक परियोजना के रूप में समझना आवश्यक है (कबीर, 1999)। इस विमर्श का एक केंद्रीय पहलू 'पहुंच' और 'सार्थक सहभागिता' के बीच का अंतर है। मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि के बावजूद, मात्र उपकरणों की उपस्थिति सशक्तिकरण की गारंटी नहीं देती (जी.एस.एम.ए., 2023)। सार्थक सहभागिता के लिए आवश्यक है कि महिलाएँ डिजिटल तकनीकों का उपयोग आलोचनात्मक, उत्पादक और सुरक्षित रूप से कर सकें। इसके लिए शिक्षा, कौशल, समय और सामाजिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। कई मामलों में, उपकरण उपलब्ध होने के बावजूद उनका उपयोग पुरुष परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे महिलाओं की स्वतंत्र डिजिटल भागीदारी सीमित हो जाती है (हिल्बर्ट, 2011)। अतः डिजिटल समावेशन को क्षमता-विकास के साथ जोड़ना अनिवार्य है।

डिजिटल असमानता का अंतःक्षेत्रीय (intersectional) स्वरूप इस प्रक्रिया को और जटिल बनाता है। महिलाओं के डिजिटल अनुभव जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, आयु और विकलांगता जैसे अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं (क्रेंशॉ, 1989)। उदाहरण के लिए, एक शहरी, शिक्षित महिला की तुलना में एक ग्रामीण, वंचित वर्ग की महिला के लिए डिजिटल सशक्तिकरण की प्रक्रिया अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस प्रकार की बहुस्तरीय वंचनाएँ यह संकेत देती हैं कि समान नीतियाँ सभी के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकतीं। अतः विविधता को ध्यान में रखते हुए लक्षित और संदर्भ-विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता है (कबीर, 1999)।

डिजिटल सुरक्षा भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है, जो महिलाओं की ऑनलाइन भागीदारी को सीधे प्रभावित करता है। साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन दुर्व्यवहार और जेंडर हिंसा ने डिजिटल वातावरण को कई बार असुरक्षित बना दिया है (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)। ये अनुभव महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और उन्हें डिजिटल मंचों से दूर कर सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मजबूत कानूनी ढाँचा, प्रभावी क्रियान्वयन, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और डिजिटल अधिकारों के प्रति जागरूकता आवश्यक है। सुरक्षित डिजिटल वातावरण के बिना सशक्तिकरण की अवधारणा अधूरी रह जाती है।

शिक्षा और कौशल विकास इस प्रक्रिया के मूल स्तंभ हैं। डिजिटल साक्षरता को केवल बुनियादी उपयोग तक सीमित नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसमें उन्नत कौशल—जैसे कोडिंग, डेटा विश्लेषण और डिजिटल उद्यमिता—भी शामिल होने चाहिए (विश्व बैंक, 2021)। इससे महिलाएँ केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि सृजनकर्ता और नवप्रवर्तक बन सकती हैं। शिक्षा कार्यक्रमों को जेंडर-संवेदनशील बनाना और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना अत्यंत आवश्यक है (जी.एस.एम.ए., 2023)।

नीतिगत और संस्थागत ढाँचे भी डिजिटल सशक्तिकरण के परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेंडर-संवेदनशील शासन का अर्थ केवल महिलाओं को लाभार्थी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें नीति-निर्माण और

कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है (कबीर, 1999)। नीतियों को वहनीयता, पहुँच, सामाजिक बाधाओं और डिजिटल अधिकारों जैसे मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण इस संदर्भ में उपयोगी है, जो सशक्तिकरण को संसाधनों की उपलब्धता के बजाय स्वतंत्रताओं और विकल्पों के विस्तार के रूप में देखता है (सेन, 1999)।

सामुदायिक स्तर पर पहले भी इस प्रक्रिया को मजबूत बनाती हैं। स्वयं सहायता समूह (SHGs), महिला संगठनों और स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से ज्ञान साझा करना, सहयोग और विश्वास निर्माण संभव होता है (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)। ये संस्थाएँ नीतियों और जमीनी वास्तविकताओं के बीच सेतु का कार्य करती हैं और डिजिटल पहलों को अधिक प्रभावी बनाती हैं।

एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर उपेक्षित पहलू अवैतनिक देखभाल कार्य का पुनर्वितरण है। घरेलू कार्यों का असमान बोझ महिलाओं की डिजिटल भागीदारी को सीमित करता है (कबीर, 1999)। अतः बाल देखभाल सुविधाएँ, लचीले कार्य प्रबंध और घरेलू जिम्मेदारियों का समान विभाजन जैसे उपाय आवश्यक हैं।

इसके साथ ही, निजी क्षेत्र और तकनीकी उद्योग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का डिजाइन और संचालन प्रायः पुरुष-प्रधान संरचनाओं द्वारा नियंत्रित होता है, जिससे एल्गोरिथमिक पक्षपात और बहिष्करण उत्पन्न हो सकता है (क्रियाडो पेरेज, 2019)। इसलिए तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और समावेशी डिजाइन को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

अंततः, डिजिटल सशक्तिकरण एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था जैसे नए तकनीकी विकास निरंतर नए अवसर और जोखिम उत्पन्न करते हैं (विश्व बैंक, 2021)। इसलिए नीतियों का निरंतर मूल्यांकन और अनुकूलन आवश्यक है, ताकि वे बदलते संदर्भों के अनुरूप प्रभावी बनी रहें।

समापनतः, समावेशी डिजिटल सशक्तिकरण के लिए एक समग्र, बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, जो तकनीकी नवाचार को सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत परिवर्तन के साथ जोड़ती हो। यह केवल पहुँच का प्रश्न नहीं, बल्कि एजेंसी, क्षमता और समानता का प्रश्न है। संरचनात्मक असमानताओं को दूर कर, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर, सुरक्षा सुनिश्चित कर और सहभागितापूर्ण शासन को सुदृढ़ करके ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों की वास्तविक परिवर्तनकारी क्षमता को साकार किया जा सकता है। यह न केवल जेंडर न्याय को आगे बढ़ाता है, बल्कि सतत और समावेशी विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

7. निष्कर्ष

डिजिटल सशक्तिकरण भारत में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को उन्नत करने वाली एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जिसने आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी के लिए नए मार्ग प्रशस्त किए हैं। इस शोध-पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ महिलाओं की संसाधनों तक पहुँच को बढ़ाने, उनकी क्षमताओं का विस्तार करने और उनकी एजेंसी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। डिजिटल उद्यमिता, वित्तीय समावेशन, ऑनलाइन शिक्षा और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर न केवल व्यापक हैं, बल्कि पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं को पुनर्परिभाषित करने की क्षमता भी रखते हैं (विश्व बैंक, 2021; यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)।

हालांकि, इन संभावनाओं की प्राप्ति स्वतःस्फूर्त या समान रूप से वितरित नहीं है। जेंडर डिजिटल विभाजन, जो पहुँच, वहनीयता और डिजिटल साक्षरता में असमानताओं से चिह्नित है, महिलाओं की पूर्ण डिजिटल भागीदारी में एक प्रमुख बाधा बना हुआ है (जी.एस.एम.ए., 2023)। इसके अतिरिक्त, सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड, संरचनात्मक असमानताएँ तथा जाति, वर्ग और भौगोलिक स्थिति जैसे अंतःक्षेत्रीय कारक इस समस्या को और जटिल बनाते हैं। परिणामस्वरूप, डिजिटल सशक्तिकरण एक असमान प्रक्रिया के रूप में सामने आता है, जिसमें कुछ महिलाओं को अधिक लाभ मिलता है जबकि अन्य समूह पीछे रह जाते हैं (कबीर, 1999)।

इसके साथ ही, डिजिटल क्षेत्र नए प्रकार के जोखिमों को भी जन्म देता है, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। साइबर हिंसा, ऑनलाइन उत्पीड़न, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन और एल्गोरिथ्मिक पक्षपात जैसे मुद्दे डिजिटल सहभागिता के नकारात्मक पक्ष को उजागर करते हैं। ये चुनौतियाँ न केवल महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनकी सक्रिय भागीदारी को भी हतोत्साहित करती हैं। यदि मजबूत सुरक्षा उपायों और जेंडर-संवेदनशील ढाँचों को लागू नहीं किया गया, तो डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ मौजूदा असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें और सुदृढ़ कर सकती हैं (यूनाइटेड नेशंस वीमेन, 2020)।

सरकारी पहलों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल अवसंरचना के विस्तार और समावेशन को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, किंतु कार्यान्वयन और पहुँच के स्तर पर अभी भी महत्वपूर्ण अंतर मौजूद हैं। डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन और कनेक्टिविटी से संबंधित कार्यक्रमों ने एक मजबूत आधार तैयार किया है, परंतु उनकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि गहरी सामाजिक और संरचनात्मक बाधाओं को किस हद तक संबोधित किया जाता है। अतः तकनीक-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर एक मानव-केंद्रित और जेंडर-संवेदनशील ढाँचे को अपनाना आवश्यक है (सेन, 1999)।

इस संदर्भ में, आगे की दिशा एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने में निहित है। इसमें न केवल तकनीकी पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है, बल्कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, ऑनलाइन सुरक्षा को सुदृढ़ करना और ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना भी आवश्यक है जो महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करे। नीतिगत

हस्तक्षेपों को अंतःक्षेत्रीय, संदर्भ-विशिष्ट और महिलाओं के विविध अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

अंततः डिजिटल सशक्तिकरण भारत में जेंडर समानता को आगे बढ़ाने का एक प्रभावशाली माध्यम बन सकता है, किंतु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के व्यापक ढाँचे में किस प्रकार समाहित किया जाता है। संरचनात्मक असमानताओं को दूर कर और महिलाओं की एजेंसी एवं क्षमताओं को प्राथमिकता देकर ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों को वास्तविक परिवर्तन के साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तभी एक ऐसे समावेशी डिजिटल समाज की परिकल्पना साकार होगी, जहाँ महिलाएँ केवल तकनीक की उपभोक्ता नहीं, बल्कि अपने सशक्तिकरण की सक्रिय निर्माता होंगी।

संदर्भ सूची -

- क्रेणॉ, के. (1989). डीमार्जिनाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ रेस एंड सेक्स. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लीगल फोरम, 1989(1), 139–167.
- क्रियाडो पेरेज़, कैरोलाइन. (2019). इनविजिबल वूमेन: डेटा बायस इन अ वर्ल्ड डिज़ाइनड फॉर मेन. अब्राम्स प्रेस.
- भारत सरकार. (2015). डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय.
- भारत सरकार. (2017). प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)। भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय.
- जी.एस.एम.ए. (Groupe Speciale Mobile Association). (2023). द मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023
- हिल्बर्ट, मार्टिन. (2011). डिजिटल जेंडर डिवाइड और टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड वूमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज़? वूमेन्स स्टडीज़ इंटरनेशनल फोरम, 34(6), 479–489.
- कबीर, नायला. (1999). रिसोर्सेज, एजेंसी, अचीवमेंट्स: रिफ्लेक्शंस ऑन द मेज़रमेंट ऑफ वूमेन्स एम्पावरमेंट. डेवलपमेंट एंड चेंज, 30(3), 435–464.
- सेन, अमर्त्य. (1999). डेवलपमेंट ऐज फ्रीडम. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- यूनाइटेड नेशंस वीमेन. (2020). ऑनलाइन एंड आईसीटी-फैसिलिटेटेड वायलेंस अगेंस्ट वूमेन एंड गर्ल्स ड्यूरिंग कोविड-19. यूनाइटेड नेशंस वीमेन.
- विश्व बैंक. (2021). वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021: डेटा फॉर बेटर लाइव्स। विश्व बैंक प्रकाशन.